रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10112020-223018
**CG-DL-W-10112020-223018**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**
साप्ताहिक
**WEEKLY**

सं. 34] नई दिल्ली, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2020, शनिवार / कार्तिक 10 —कार्तिक 16, 1942
**No. 34] NEW DELHI, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2020, SATURDAY/KARTIKA 10— KARTIKA 16, 1942**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

### (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

### (प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

**सा.का.नि. 158.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ड्रेसर (औषधालय) और घुडसवारी सहायक भर्ती नियम, 2014, को जहां तक कि उनका संबंध ड्रेसर (औषधालय) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में ड्रेसर (औषधालय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, ड्रेसर (औषधालय), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पध्दति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तयों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ड्रेसर (औषधालय) | 1* (2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 3 (21700 - 69100/- रु.) | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)<br>**टिप्पण 1** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)<br>**टिप्पण 2 :-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा मे आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविधालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता सहित किसी सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल से मरहम पट्टी लगाने का तीन वर्ष का अनुभव हो ।<br>**टिप्पण 1** :-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थयों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2** :- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियो की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा ।<br>**टिप्पण 1:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं ।<br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार उसी या किसी अन्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अभ्यर्थियो के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | | संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br>**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की 'अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नही' होगी । |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्त/ आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. उप निदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - अध्यक्ष ;<br>2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य ;<br>3. उप निदेशक या सहायक निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य । | लागू नहीं होता । |

[फा.सं. टी-21011/3/2019-अका.डेस्क]

बिस्वजीत बैनर्जी,अवर सचिव

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

(TRAINING DIVISION)

New Delhi, the 3rd November, 2020

**G.S.R. 158.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie Dresser (Dispensary) and Riding Assistant Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Dresser(Dispensary), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dresser(Dispensary) in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:–

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Dresser (Dispensary), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Dresser (Dispensary) | 1* (2020)<br><br>*Subject to variation depended on work load. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial | Level – 3 in the pay matrix (Rs. 21700 - 69100) | Not applicable | Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br>**Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Andaman Lakshadweep.<br>**Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| **Essential:**<br>12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University with three years' experience of dressing of wounds in the Government hospital or Private hospital.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection of the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancy reserved for them | Not applicable | Two years | By direct Recruitment.<br>**Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government or State Governments holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).<br>**Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications. |

| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made | If Departmental Promotion Committee exits, what is its Composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-**<br>1. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie – Chairman;<br>2. Chief Medical Officer, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie – Member;<br>3. Deputy Director or Assistant Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member. | Not applicable. |

[F.No. T-21011/3/2019-Acad. Desk]

BISWAJIT BANERJEE, Under Secy.

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

**सा.का.नि.159.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई में विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई,विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक (समूह 'ख' पद)भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **प्रारंभिक गठन.—**इन भर्ती नियमों को विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक पद के लिए प्रथम बार विरचित किया गया है । तथापि, इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व नियमित आधार पर उक्त पद धारण किए हुए अधिकारियों द्वारा की गई सेवा को पेंशन, प्रोन्नति, ज्येष्ठता आदि के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा समझा जाएगा ।

3. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद परभर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक | 2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अहर्ताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे तकनीकी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा प्रायोजित सुसंगत विषय में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।<br>**टिप्पण:**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रान्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों | **समूह 'ख'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**<br>i. उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) - अध्यक्ष<br>ii. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) - सदस्य<br>iii. उपनिदेशक (प्रशासन) - सदस्य<br>iv. निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला -सदस्य | आवश्यक नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | | |

[फा.सं. ए-12018/01/2011-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

New Delhi, the 27th October, 2020

**G.S.R. 159.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrical and Mechanical Supervisor in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely:—

1. **Short title and commencement.— (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Electrical and Mechanical Supervisor (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial constitution.—**These recruitment rules for the post of Electrical and Mechanical Supervisor are being framed for the first time. However, the service rendered by the officers holding the said post on a regular basis prior to the notification of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of pension, promotion, seniority etc.

**3. Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non - selection | Age limit for direct recruitments |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Electrical and Mechanical Supervisor | 2* (2020) *Subject to variation depended on workload | General Central Service, Group 'B' Non-Ministerial (Non-Gazetted) | Level-6, in the pay matrix (Rs. 35400-112400) | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruitments | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Two years | By promotion |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion**:<br>Technician in Level-4 (Rs. 25500-81100) of the pay matrix and with ten years of regular service in the grade; and have successfully completed two to four weeks training in relevant subject as sponsored by the department.<br>**Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of:-**<br>(i) Deputy Director General (Public Health) -Chairman<br>(ii) Director (Administration and Vigilance) -Member<br>(iii) Deputy Director (Administration) -Member<br>(iv) Director, BCG Vaccine Laboratory - Member | Not necessary. |

[F. No. A-12018/01/2011-EPI)]

G. K. PILLAI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM